राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

क्रमांक: एफ-7(76)रालसा/स्था.ली.अदा.स.स./2016/2226 दि० : 24-01-2019

विज्ञप्ति

मुख्यालय बालोतरा, बारां, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चुरू, चित्तोड़गढ, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर महानगर, जयपुर जिला, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 की धारा 22बी के तहत् संस्थापित स्थायी लोक अदालतों में, नियुक्त सदस्य जिनका कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप पद रिक्त है अथवा दिनांक 30.06.2019 तक रिक्त होने की संभावना है, में सदस्यों (Other person/members) की नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आंमत्रित किए जाते है।

1. जो निम्न अर्हता एवं पात्रता रखते हों:–
   (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, एवं
   (ii) लोक उपयोगिता सेवाएं (Public Utility Services) में पर्याप्त अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, या
   (iii) सेवानिवृत्त अधिकारी जो जन उपयोगी सेवाओं से सेवानिवृत्त हुआ हो एवं सामान्य Reputation अच्छी रही हो या,
   (iv) विधि का ज्ञान अथवा विधि की शिक्षा को यदि जन उपयोगी सेवा का अनुभव साथ में हो तो, प्राथमिकता दी जावेंगी,
2. अभ्यर्थी की नियुक्ति के समय उम्र 63 वर्ष से अधिक की नहीं हो,
3. उक्त नियुक्ति प्रारम्भ में 1 वर्ष के लिए की जाएगी जिसे सेवायें सन्तोषप्रद पाये जाने पर प्रारम्भिक नियुक्ति के 1 वर्ष को सम्मिलित करते हुए 02 वर्ष तक या आवेदक की आयु 65 वर्ष पूरी होने तक, जो भी पहले हो, तक बढाया जा सकेगा।
4. स्थायी लोक अदालत के सदस्य को मानदेय व अन्य सुविधायें Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons Rules, 2003 के अनुरूप देय होंगी।
5. उक्त चयन की प्रक्रिया माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों में से योग्य अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट कर साक्षात्कार द्वारा पूर्ण की जावेंगी और साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का TA/DA देय नहीं होगा। चयन का अंतिम निर्णय माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के विवेकाधीन होगा।
6. आवेदक यह सुनिश्चित करे की उसका किसी भी जन उपयोगी सेवाओं में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्य प्रकार का हित नहीं हो।
7. पात्रता रखने वाले आवेदक निर्धारित प्रारूप में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर के कार्यालय में व्यक्तिशः या डाक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट www.rlsa.gov.in से डाउनलोड़ किया जा सकता है।
8. आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजात की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि सम्मिलित की जावें
9. नियुक्ति से संबंधित शर्ते व नियम प्राधिकरण के निर्णयाधीन रहेंगी।
10. उक्त सदस्य या अन्य व्यक्ति (Members /other person) किसी प्रकार का नियोजन नहीं है और नियोजन का कोई अधिकार सृजित नहीं करता है बल्कि स्वसेवा है, जिसके लिए निर्धारित मानदेय व यात्रा भत्ता देय है।
11. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 16.02.2019 है। इस तिथि को कार्यालय समय पश्चात् (सांय 5:00 बजे के पश्चात्) प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. सेवारत अधिकारी (जो दिनांक 28.02.2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले है) अपना आवेदन पत्र उनके विभाग के माध्यम से प्रस्तुत करें। वे आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपना आवेदन समय रहते अपने विभाग को प्रेषित करें।

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

C:\Users\RSLSA\Desktop\Tejsingh.docx

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100)

मुख्यालय बालोतरा, बारां, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चुरू, चित्तोड़गढ, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर महानगर, जयपुर जिला, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर पर विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिनियम, 1987 की धारा 22बी के तहत् संस्थापित स्थायी लोक अदालतों में नियुक्त सदस्य जिनका कार्यकाल दिनांक 30.06.2019 तक पूर्ण होने के फलस्वरूप पद रिक्त हुए है एवं रिक्त होने वाले है, पर सदस्यों या अन्य व्यक्तिओं (Members /other person) की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट साईज का नवीनतम स्व हस्ताक्षरित फोटो चिपकायें

1. आवेदक का नाम
   हिन्दी में...
   अग्रेंजी में...
2. आवेदक के पिता/पति का नाम...
3. जन्म तिथि (शब्दों व अंको में)...
   ....
4. गृह जिला..
5. आवेदक किस जिले की स्थायी लोक अदालत में अपनी सेवाएं देना चाहता है...............
6. स्थायी पता...
   (टेलीफोन/फैक्स...
   नम्बर सहित)..
7. वर्तमान पता..
   (टेलीफोन/फैक्स...
   नम्बर सहित)..
8. मोबाईल नम्बर...
9. ई–मेल एड्रेस...
10. कार्यालय का पता..
11. शैक्षाणिक योग्यता (सैकण्डरी, सीनियर सैकण्ड्री, स्नातक एवं तत्पश्चात अर्जित):–

क्र.सं.	परीक्षा	बोर्ड/विश्वद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

C:\Users\RSLSA\Desktop\Tejsingh.docx

12. सेवारत आवेदक के लिए सेवा में प्रवेश की तारीख...

13. वर्तमान पदनाम (सेवारत आवेदक के लिए)...

14. अंतिम धारित पद (सेवानिवृत्त आवेदक के लिए)..

15. सेवानिवृत्ति की दिनांक ....

(सेवानिवृत्त आवेदक वास्तविक एवं सेवारत आवेदक भावी तिथि अंकित करें)

16. बार काउन्सिल में पंजीयन संख्या (विधि व्यवसायी के लिए)............................

17. विधिक सेवाओं के क्षेत्र में, विशेष रूप से जनोपयोगी सेवा लोक अदालत से संबंधित अनुभव एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण–

वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज

18. वकालत का अनुभव–(जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित कम से कम 05 निर्णय की प्रति संलग्न करें।)

19. अन्य कार्य/व्यवसाय का अनुभव..............

वर्ष	कार्य	संलग्न दस्तावेज

20. वर्तमान कार्य/व्यवसाय (Occupation) का विवरण..

21. क्या आवेदक के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी हैं?
हाँ/नहीं

22. यदि आवेदक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न हुई है?
हाँ/नहीं

23. यदि आवेदन के विरूद्ध सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान कोई भी विभागीय जांच या प्रारम्भिक जांच की गई हो या लंबित हो या दण्ड़ित किया गया हो तो उसका विवरण दें। (सेवारत/सेवानिवृत्त के लिए)

24. यदि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक अभियोजन संस्थित किया गया हो तो उसका विवरण दें।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं..पुत्र/पत्नी...घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य एवं विवरण मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सहीं व सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरा जन उपयोगी सेवा में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्य हित नहीं है।

आवेदक केहस्ताक्षर

दिनांक
स्थान

नोट : आवेदन पत्र के साथ जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षाणिक प्रमाण पत्र व सेवानिवृत्त आदेश की स्व–सत्यापित प्रतियां संलग्न करे। आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज भी संलग्न किये जा सकते है।